रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED NO. D. (D)72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 355] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 1980/कार्तिक 21, 1902
No. 355] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 1980/KARTIKA 21, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1980
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 641 (अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 25) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 17 नवम्बर, 1980 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 21 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[सं० 176/80 के० उ० शु/209/3/डब्लयू/78 सी एक्स 6]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATIONS
New Delhi, the 12th November, 1980
CENTRAL EXCISES

G.S.R. 641(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Customs, Central Excises and Salt and Central Boards of Revenue (Amendment) Act, 1978 (25 of 1978), the Central Government hereby appoints the 17th day of November, 1980, as the date on which the provisions of section 21 of the said Act shall come into force.

[No. 176/80-CE/F. No. 209/3/W/78CX.6]

सा०का०नि० 642(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (15वां संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये 17 नवम्बर, 1980 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 10, 11 और 173 ञ का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 191क के उप-नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

(9) विनिर्मित माल का उस तारीख से जिसको विनिर्मित माल प्रेषण के पूर्व उचित अधिकारी द्वारा मुद्रांकित किया गया था, छह मास के भीतर निर्यात किया जाएगा तथा रिबेट के लिए दावा और सम्यक् निर्यात का संबूत कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास अधिनियम की धारा 11-ख की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व दाखिल किया जाएगा।"

[सं० 177/80-के०उ०शु०/209/3/डब्लयू/78 सीएक्स 6]

G.S.R. 642(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Fifteenth Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the 17th day of November, 1980.

2. In the Central Excise Rules, 1944, (hereinafter referred to as the said rule), rules 10, 11 and 173-J shall be omitted.

3. In rule 191A of the said rules, for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(9) The manufactured goods shall be exported within six months from the date on which the manufactured goods were sealed by the proper officer before despatch, and the claim for rebate together with the proof of due exportation will be lodged with the Assistant Collector of Central Excise concerned having jurisdiction over the factory before the expiry of the period specified in sub-section (1) of section 11-B of the Act."

[No. 177|80-CE. F. No. 209|3|W|78-CX. 6.]

सा०का०नि० 643(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना के परन्तुक के खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्—

"(5) माल का उस तारीख से जिसको ऐसे माल की उत्पादन करने वाले कारखाने या भाण्डागार से निर्यात के लिए प्रथम निकासी की गई थी, चार मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर निर्यात किया जाता है जो कलक्टर किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे तथा रिबेट के लिए दावा और सम्यक् निर्यात का सबूत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11-ख में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व दाखिल किया जाता है।"

2. यह अधिसूचना 17 नवम्बर 1980 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 178/180 के०उ०शु० फा०सं० 209/13/डब्लयू/78सी एक्स 6]

G.S.R. 643(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 197|62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely :—

In the proviso to the said notification for clause (v), the following clause shall be substituted, namely :—

"(v) the goods are exported within four months from the date on which the goods were first cleared for export from the producing factory or the warehouse or such extended period as the Collector may, in any particular case, allow, and the claim for rebate, together with the proof of due exportation is lodged with the Assistant Collector of Central Excise before the expiry of the period specified in section 11-B of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)".

2. This notification shall come into force on the 17th day of November, 1980.

[No. 178/80-CE/F. No. 209/3/W/78-CX.6]

सा०का०नि० 644(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 62/58-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जून, 1958 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट के पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात:—

"4. निर्यातकर्ता प्ररूप ख में एक आवेदन तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11-ख में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित इस आशय के बहनपत्र या पोतपत्र के साथ पेश करेगा कि माल का वास्तव में निर्यात किया गया है।"

2. यह अधिसूचना 17 नवम्बर 1980 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 179/80-के०उ०शु०/फा०सं० 209/3/डब्लयू/78 सीएक्स 6]

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 62|58-Central Excises dated 21st June, 1958, namely :—

In the appendix to the said notification, for paragraph 4, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"4. The exporter shall prepare, an application in Form B, and present it to the Assistant Collector of Central Excise before the expiry of the period specified in section 11-B of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) together with the Bill of Lading or Shipping Bill duly certified by the Customs authorities to the effect that the goods have in fact been exported."

2. This notification shall come into force on the 17th day of November, 1980.

[No. 179/80-CE/F. No. 209/3/W/78-CX.6]

सा०का०नि०645(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 और 12-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की प्रत्येक अधिसूचना जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी ।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	215/62-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15 दिसम्बर, 1962	उक्त अधिसूचना के प्रथम परन्तुक के खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(5) माल का उस तारीख से जिसको ऐसे माल की उत्पादन करने वाले कारखाने या भाण्डागार से निर्यात के लिए प्रथम निकासी की गई थी, चार मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर निर्यात किया जाता है जो कलक्टर किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे तथा रिबेट के लिए दावा और सम्यक् निर्यात का सबूत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11-ख में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व दाखिल किया जाता है।"
(2)	148/69 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मई, 1969	उक्त अधिसूचना के परन्तुक के खण्ड (5) जो सारणी 2 में विनिर्दिष्ट माल से सम्बन्धित है, के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:— "(5) माल का उस तारीख से जिसको ऐसे माल की उत्पादन करने वाले कारखाने या भाण्डागार से निर्यात के लिए प्रथम निकासी की गई थी, चार मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर निर्यात किया जाता है। जो कलक्टर किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे तथा रिबेट के लिए दावा और सम्यक् निर्यात का सबूत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11-ख में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व दाखिल किया जाता है।"

2. यह अधिसूचना 17 नवम्बर, 1980 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० 180/80-के०उ०शु०/फा०स०209/3/डब्लयू/78-सीएक्स6]

सी० एन० बालकृष्णन नायर, अवर सचिव

G.S.R. 645(E).—In exercise of the powers conferred by rule[8] 12 and 12-A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification Number and Date	Amendment
(i)	215/62-Central Excises dated the 15th December, 1962.	In the first proviso to the said notification, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely :— "(v) The goods are exported within four months from the date on which the goods were first cleared for export from the producing factory or the warehouse or within such extended period as the Collector, may, in any particular case allow, and the claim for rebate, together with the proof of due exportation is lodged with the Assistant Collector of Central Excise before the expiry of the period specified in section 11-B of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)";
(ii)	148/69-Central Excises dated the 17th May, 1969.	In the proviso to the said notification, for clause (v) relating to goods specified in Table II, the following clause shall be substituted, namely : "(v) The goods are exported within four months from the date on which the goods were first cleared for expor from the producing factorty or the warehouse or such extended period as the Collector may, in any particular case, allow, and the claim for rebate, together with the proof of due exportation is lodged with the Assistant Collector of Central Excise before the expiry of the period specified in section 11-B of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)".

2. This notification shall come into force on the 17th day of November, 1980.

[No. 180/80-CE./F. No. 209/3/W/78-CX.6.]

C. N. BALAKRISHNAN NAIR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980